

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112022-240104
CG-DL-E-09112022-240104

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4966]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944

No. 4966]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/KARTIKA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

का.आ. 5185(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 (क) की उप-धारा (1) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले में कि.मी. 83.700 से कि.मी. 95.800 (परली से इंजेगावनवघोषीत राष्ट्रीय राजमार्ग 548 B का भाग) तक के भू-खण्ड के निर्माण(चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी, परली वै. जिला बीड को लिखित रूप में प्रस्तुत जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी

आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले में 83.700 से कि.मी. 95.800 (परलीसे इंजेगाव नवघोषित राष्ट्रीय राजमार्ग 548 B का भाग) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमिका संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: बीड		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: परळी					
गांव का नाम: इंजेगाओं					
1	47	निजी	एग्रीकल्चर	0.0150000(हेक्टेयर)	0.0150000
गांव का नाम: कौठळी					
1	402	निजी	कृषी	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
2	403	निजी	कृषी	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
3	409	निजी	कृषी	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
4	410	निजी	कृषी	0.2400000(हेक्टेयर)	0.2400000
5	485	निजी	कृषि	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000
6	486	निजी	कृषि	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000
7	488	निजी	कृषी	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
8	491	निजी	कृषी	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
9	492	निजी	कृषी	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
10	493	निजी	कृषी	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
11	494	निजी	कृषी	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
12	495	निजी	कृषी	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
कुल				0.7150	0.7150

[फा. सं. 12037/51/2017-MAH-P-6/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2022

S.O. 5185(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3(A) of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared after being satisfied that for the public purpose the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two laning/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH 548 B in the stretch of Km.83/700 to km.95.800 (Parli to Injegaon NH 548 B) in the district Beed in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Sub Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Parli-Vai Dist Beed** in the writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objection and after making such further enquiry, if any, As the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structure, falling NH548 B in the stretch of land from Km.83/700 to km.95.800 (Parli to Injegaon NH 548 B) in the District of Beed in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA		District: BEED			
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Parali					
Village: Injegaon					
1	47	Private	Agriculture	0.0150000(Hectare)	0.0150000
Village: Kauthali					
1	402	Private	Agriculture	0.0100000(Hectare)	0.0100000
2	403	Private	Agriculture	0.0100000(Hectare)	0.0100000
3	409	Private	Agriculture	0.1000000(Hectare)	0.1000000
4	410	Private	Agriculture	0.2400000(Hectare)	0.2400000
5	485	Private	Agriculture	0.0800000(Hectare)	0.0800000
6	486	Private	Agriculture	0.1200000(Hectare)	0.1200000
7	488	Private	Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000
8	491	Private	Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000
9	492	Private	Agriculture	0.0300000(Hectare)	0.0300000

10	493	Private	Agriculture	0.0300000(Hectare)	0.0300000
11	494	Private	Agriculture	0.0100000(Hectare)	0.0100000
12	495	Private	Agriculture	0.0300000(Hectare)	0.0300000
Total				0.7150	0.7150

[F. No. 12037/51/2017-MAH-P-6/3A]

RAJESH GUPTA, Director